>

Title: Need to have a provision in the Constitution for the welfare of Denotified and Nomadic tribes in the XIth Five Year Plan.

**श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल):** महोदय, मैं आपके माध्यम से उन लोगों की बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ जिनकी संख्या देश में 15 करोड़ के आस-पास है। ऐसे करोड़ों लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, यहां तक कि उनके पास अपना गांव भी नहीं है और अगर गांव है तो उसका कोई नाम नहीं है। देश में ऐसे 15 करोड़ लोग रहते हैं जिनको डिनोटीफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स कहा जाता है।

महोदय, वÂाऩ 1952 से 1957 के बीच उनके लिए बजट प्रावधान था। जब हमारे पूथम प्रधानमंत्री पं0जवाहर लाल नेहरू, बाबा साहब डा0अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इन पर ध्यान दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि देश में किसी का ध्यान उन पर नहीं गया है। पिछली बार हमने श्री अटल जी का ध्यान इस ओर दिलाया था और उन्होंने इसके लिए एक कमीशन भी बैठाया था। लेकिन अब वह कमीशन भी खत्म कर दिया गया है और अभी तक उनके लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए। इन लोगों को कांस्टीटयूशन के दायरे में लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए संविधान में प्रावधान हैं, उसी तरह के प्रावधान इन ट्राइब्स के लिए भी होने चाहिए। आज देश में ऐसे 15 करोड़ लोग हैं, जो दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already made your point.

**श्री हरिभाऊ राठौड़ :** महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग है कि जिस प्रकार से संविधान में एससी,एसटी और ओबीसी के लिए प्रावधान है, उसी तरह से इनको भी संविधान का प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। जब तक संविधान में प्रावधान करके आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनकी प्रगति होना मुश्किल या नामुमकिन है। ऐसे लोगों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए अन्यथा ऐसा होगा कि वे इस देश के नागरिक कहलाने के लायक भी नहीं रहेंगे।